प्रेस विज्ञप्ति -

खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा भ्रामक दावों और विज्ञापनों के खिलाफ एफएसएसएआई की कार्रवाई जारी

खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) द्वारा उनके उत्पादों पर किए जा रहे दावों और विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की विज्ञापन निगरानी समिति ने 32 नए मामलों की सूचना दी है जो प्रथम दृष्टया खाद्य सुरक्षा और मानक के प्रावधान (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के उल्लंघन में पाए गए हैं ।

जांच किए गए खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य पूरक, जैविक उत्पाद, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उत्पाद, स्टेपल आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं और पहचाने गए दावों में विभिन्न स्वास्थ्य दावे, उत्पाद दावे आदि शामिल हैं। इसके अलावा, खाद्य व्यवसाय संचालकों में न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों, रिफाइंड तेल, दालें, आटा, बाजरा उत्पाद, घी आदि के निर्माता और/या विपणक शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत भ्रामक दावे या विज्ञापन निषिद्ध हैं और एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा -53 के तहत दंडनीय अपराध हैं।

संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी करने सहित आगे की कार्रवाई के लिए, भ्रामक दावों को वापस लेने या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए ऐसे सभी एफबीओ को नोटिस जारी करने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को भेजा गया है। असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में, FBO को ऐसे दावों को वापस लेने या उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें विफल रहने पर FBO को दस लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा-53 के अनुसार, उक्त नियमों के उल्लंघन की पुनरावृति करने पर अन्य कठोर दंड जैसे लाइसेंस का निलंबन/रद्दीकरण आदि का प्रावधान है।

पिछले छह महीनों के दौरान भ्रामक विज्ञापनों और दावों के ऐसे मामलों की कुल संख्या 170 हो गई है और ऐसे दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वृहत उपभोक्ताओं के हित में कोई भी अवैज्ञानिक और/या अतिरंजित दावे और विज्ञापन न करें।